**23 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में श्री बी.एन नवलावाला, मुख्य सलाहकार, ज.सं., न.वि और गं.सं.मं के अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यबल की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।**

23 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में श्री बी.एन नवलावाला, मुख्य सलाहकार, ज.सं., न.वि और गं.सं.मं के अध्यक्षता के अंतर्गत नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यबल की प्रथम बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक के सहभागियों की सूची संलग्नक I में प्रदान की गई है।

**2.0** आरंभ में अध्यक्ष ने कार्यबल के सभी सदस्यों और बैठक के अन्य सहभागियों का स्वागत किया। अपने आरंभिक भाषण में अध्यक्ष ने न.के.अं के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के सच्चे संकल्प की सराहना की थी। उन्होंने इस संबंध में कार्यबल के संस्थापन का अभिनन्दन किया। उन्होंने कहा कि संविधान में प्रदत्त विचारणीय विषयों की सूचना अनुसार कार्यबल का अधिदेश न.के.अं के कार्यक्रम के लगभग सभी पहलुओं को शामिल करते हुए काफी व्यापक था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कार्यबल को सौंपे गए कार्य काफी चुनौतीपूर्ण थे किन्तु उन्होंने इस बात की पूरी आशा जताई कि वांछनीय अपेक्षाओं को पूरा करने में यह स्वयं को योग्य साबित करेगा।

**3.0** नव संस्थापित कार्यबल के सदस्यों के लाभ हेतु रा.ज.वि.अ. द्वारा निम्न बिन्दुओं पर पृष्ठभूमि और अन्य सारांश विवरण प्रस्तुत किया गया था-

(a) इससे पहले भारत सरकार द्वारा श्री सुरेश प्रभु, उस समय 2002 के सांसद के अध्यक्षता के अंतर्गत नदियों के अंतर्योजन के कार्यक्रम पर कार्यबल संस्थापित किया गया था। इस कार्यबल के विचारणीय विषयों में पूर्व कार्यबल (2002) के लगभग सभी विचारणीय विषय शामिल हैं और इसके साथ अंतः-राज्य, अंतः-जलाशय लिंक प्रस्तावों और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रस्तावों की पूर्वसम्भावित स्थापित न होने पर वैकल्पिक योजनाओं के मुद्दों पर अतिरिक्त विचारणीय विषय भी शामिल है।

(b) कार्यात्मक आवश्यकताओं के रूप में पिछले कार्यबल को निम्न प्रावधानों से सशक्तिकरण प्राप्त थी:

(i) कार्यबल के अध्यक्ष के परामर्श और माननीय प्रधान मंत्री जी के अनुमोदन से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य – सचिव के अलावा, नौ अंशकालिक सदस्यों और एक पूर्णकालिक सदस्य (श्री दीपक दास गुप्ता, सेवा-निवृत्त अध्यक्ष, भा.रा.रा.प्रा) को नामांकित किया गया था।

(ii) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) को सहायता अनुदान प्रदान कर कार्यबल द्वारा उठाए गए मूलपूंजी तथा राजस्व व्यय का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया गया था।

(iii) कार्यबल के सचिवालय के लिए नई दिल्ली के आर.के पुरम के त्रिकूट भवन में एक अलग कार्यालय स्थापित किया गया था और कार्यबल के सचिवालय में विशिष्ट रूप से एक अधीक्षण अभियंता सहित सहायता अधिकारियों/ रा.ज.वि.अ. के कर्मचारियों को रखा गया था। मंत्रालय ने दिन-प्रतिदिन के व्ययों को पूरा करने के लिए रा.ज.वि.अ. के अधीक्षण अभियंता को वित्तीय अधिकार भी सुपुर्द किए थे।

(iv) विभिन्न राज्यों एवं पणधारियों के साथ प्रभावकारी सहयोग के लिए कार्यबल के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का पद प्रदान किया था ताकि इस राष्ट्रीय महत्व परियोजना का उचित नयाचार और सफल निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

(c) यह सूचित किया गया था कि नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए गठित विशेष समिति के अनुमोदन से ज.सं, न.वि और गं.सं मंत्रालय ने निम्न तीन उप-समितियाँ संस्थापित की है;

i. भिन्न अध्ययनों के व्यापक मूल्यांकन हेतु उप-समिति;

ii. सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययनों हेतु उप-समिति; और
iii. रा.ज.वि.अ. के पुनः संरचन हेतु उप-समिति
iv. वर्ष 2002 में ज.सं, न.वि और गं.सं मंत्रालय द्वारा संस्थापित मतैक्यता समूह का नाम बदल कर अब संबंधी राज्यों के मध्य समझौते के माध्यम से मतैक्यता निर्माण करने और सहमति पर पहुँचने हेतु उप-समिति रखा गया है।

नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए गठित विशेष समिति के कार्यों के निर्वहन में उपरोक्त उप-समितियाँ विशेष समिति को सहायता प्रदान कर रही हैं।

**4.0** उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण के बाद, अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्यबल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसे सुपुर्द कार्यों के निष्पादन हेतु, कार्यबल को इन उप-समितियों से तकनीकी सहायता भी आवश्यक हो सकती है। अध्यक्ष को भी ऐसा लगा कि ज.सं, न.वि और गं.सं मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता आधार पर कार्यबल के गैर-अधिकारी सदस्यों के लिए या.भ/म.भ और सदस्यता शुल्क इत्यादि के मामले को सुलझाया जाना चाहिए। उसके बाद, अध्यक्ष ने प्रत्येक सदस्य से अपनी-अपनी राय प्रकट करने की प्रार्थना की, जो नीचे प्रदान किया गया है:

(i) श्री प्रोदिप्तो घोष ने बताया कि उनके अनुभवों के आधार पर वे नदियों के अंतर्योजन के कार्यक्रम के पर्यावरणीय मुद्दों के सन्दर्भ में और इन परियोजनाओं के वित्त-पोषण तंत्रों के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं।

(ii) श्री श्रीराम वेदिरे को लगा कि कार्यबल के विचारणीय विषय न.के.अं की परियोजना के विशेष समिति के अनुमोदन से स्थापित उप-समितियों के विचारणीय विषयों से मिलते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यबल के विशेष विचारणीय विषयों पर काम करने के लिए इन उप-समितियों को कार्यकारी समूहों में परिवर्तित किया जा सकता। ये कार्यकारी समूह कार्यबल को जानकारी प्रदान कर सकते हैं और जो नदियों के अंतर्योजन के कार्यक्रम से संबंधित सभी मामलों में विशेष समिति की सहायता कर सकता है।

(iii) श्री विराग गुप्ता ने बताया कि नदियों को जोड़ने पर विशेष समिति का गठन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों अनुसार किया गया है जबकि कार्यबल का गठन यूनियन कैबिनेट के निर्देशों अनुसार ज.सं, न.वि और गं.सं मंत्रालय द्वारा किया गया है। उपर्युक्त सूचना अनुसार उप-समितियों का निर्माण न.के.अं की परियोजना के विशेष समिति के अनुमोदन से किया गया है और अतः उन्होंने उप-समितियों द्वारा कार्यबल को प्रतिवेदन देने की कानूनी वैधता पर सवाल उठाया। उन्होंने सुझाव दिया कि इस नए कार्यबल को पिछले कार्यबल द्वारा निष्पादित कार्यों और नदियों के अंतर्योजन के कार्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न मुद्दों पर उनकी संस्तुतियों पर विचार करना चाहिए। श्री गुप्ता जी ने सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहियों की संवीक्षा करने और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दायर शपथ-पत्रों पर बल दिया ताकि न.के.अं की परियोजना के निष्पादन के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा किसी विसामान्यता का परिहरण किया जा सके। उन्होंने समयबद्ध तरीके से कार्यों के निष्पादन हेतु कानूनी स्थिति, अधिकार एवं मौजूदा कार्यबल के अधिदेश के मुद्दों को भी उठाया।

(iv) श्री एम. गोपालकृष्णन ने कहा कि उन्होंने न.के.अं के कार्यक्रम के पिछले कार्यबल (2002) में भी काम किया है और उन्होंने पिछले निकाय द्वारा निष्पादित कार्यों का विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि पिछले कार्यबल ने कार्य योजना-I और कार्य योजना-II के रूप में अपनी रिपोर्ट तैयार की थी और ज.सं.मं को जमा किया था। राज्यों के मध्य मतैक्यता निर्माण के संबंध में उन्होंने बताया कि श्री सुरेश पी. प्रभु, पिछले कार्यबल के अध्यक्ष ने मतैक्यता निर्माण की जिम्मेदारी स्वयं अपने कंधो पर लिया था और विभिन्न राज्य सरकारों से इस विषय पर चर्चा भी किया था।

इसके अलावा, श्री गोपालकृष्णन ने पिछले कार्यबल द्वारा जमा किए गए कार्य योजना I और कार्य योजना II रिपोर्ट्स पर ध्यान आकर्षित किया, जिसमे विभिन्न कार्यकारी समूहों की सम्पूर्ण जानकारी है, जिसने कई विशिष्ट क्षेत्रों को

संबोधित किया है। ऐसे 11 समूह एवं मुख्य समूह थे जैसे कि लोगों द्वारा प्रस्तावित रा.प.यो के अंतर्गत मौजूद नदियों को जोड़ने पर की परियोजनाओं से भिन्न 'वैकल्पिक योजनाओं' के परीक्षण के लिए विशेषज्ञों की स्वतंत्र समूह, सम्प्रेषण मूल समूह, महत्वपूर्ण समीक्षा समूह इत्यादि।

(v) श्री ए.डी मोहिले के अवलोकन निम्न थे:

(a) न.के.अं की परियोजना की विशेष समिति का संस्थापन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से हुआ है। अधिसूचना अनुसार, न.के.अं की परियोजना की विशेष समिति का निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अंतर्गत गठित सभी शासी निकायों या अन्यथा के निर्णय से वरीय होगा। ये अधिकार न.के.अं की परियोजना के विशेष समिति के पास है और न कि न.के.अं की परियोजना के विशेष समिति के अनुमोदनों से संस्थापित भिन्न उप-समितियों या कार्यबल के पास है। उप-समितियों द्वारा कार्यबल को प्रतिवेदन दिया जाना और फिर कार्यबल द्वारा न.के.अं की परियोजना के विशेष समिति को प्रतिवेदन दिया जाना एक लंबी श्रृंखला होगी और अतः विभिन्न उप-समितियों और कार्यबल को एक बराबर काम करना चाहिए और इन दोनों को नदियों के अंतर्योजन के कार्यक्रम के मुद्दों के संबंध में नदियों को जोड़ने पर की विशेष समिति की सहायता करनी चाहिए;

(b) कार्यबल के विचारणीय विषय संख्या II के अलावा बाकी सभी विचारणीय विषय पर्याप्त लगते हैं;

(c) कार्यबल में अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि से एक सदस्य को शामिल किया जा सकता है;

(d) सांविधिक पद के बिना संबंधी राज्यों के मध्य समझौते के ज़रिए मतैक्यता निर्माण और सहमति पर पहुँचने के लिए गठित उप-समिति मतैक्यता निर्माण के प्रक्रिया को अत्यंत प्रभावकारी रूप से पूरा नहीं कर पाएगी। अतः, कार्यबल को उचित स्तरों पर संविधिक पद प्रदान किया जाना चाहिए ताकि मतैक्यता निर्माण के लिए वे प्रभावकारी रूप से राज्यों से वार्तालाप कर सके;

(e) कार्यबल को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में उसे जल संसाधन क्षेत्र से अत्यंत अनुभवी विशेषज्ञों से सहायता की जरूरत होगी। अतः, जल संसाधन क्षेत्र में सम्पूर्ण ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना चाहिए।

(vi) केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि कार्यबल को पहले नदियों के अंतर्योजन के कार्यक्रम के कार्यान्वयन की एक रणनीति का विकास करना होगा। कार्यबल को संबंधी राज्यों से समझौते पर कार्य आरंभ कर देना चाहिए। उन्होंने बताया कि भिन्न जलाशयों/ उप- जलाशयों में अधिशेष जल की उपलब्ध मात्रा पर कोई भी राज्य अपनी सहमति नहीं दे रही थी। उनके राय में, रा.प.यो के किसी भी प्रस्ताव को राज्य सरकारों के लिए अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए यदि उनमें कोई आशोधन / परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, तो हमें इन संशोधनों के लिए मान जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संबंधी राज्यों सहित अन्य लिंक प्रस्तावों के सन्दर्भ में (i) केन-बेतवा लिंक; (ii) दमनगंगा-पिंजल लिंक; और (iii) पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं के मामलों में अब तक अपनाए गए दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की जानी चाहिए।

(vii) रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक और सदस्य सचिव ने बताया कि सचिव (ज.सं, न.वि और गं.सं.मं) और रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय के अध्यक्ष के समक्ष विभिन्न वर्गों के सलाहकारों को नियुक्त करने का प्रस्ताव जमा किया गया है। ये सलाहकार उप-समितियों और कार्यबल की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। साथ हीं, उन्होंने रा.ज.वि.अ. के कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति/ मानवबल स्थिति दर्शाया, विशेष रूप से इसके मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति/ मानवबल स्थिति।

5.0 विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श एवं चर्चा के बाद, कार्यबल के सदस्य निम्न सुझावों तथा संस्तुतियों पर सहमत हुए:

(i) विचारणीय विषय संख्या II "यदि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रस्ताव व्यवहार्य न होने के मामले में वैकल्पिक योजना पर विचार करना" को संशोधित कर इसे "राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के लिंक प्रस्तावों को अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए उनके संशोधन/ उपांतीय परिवर्तनों पर विचार करना" किया जा सकता है।

(ii) न.के.अं की विशेष समिति से यह सिफारिश करना कि कथित समिति के साथ गठित उप-समितियाँ न.के.अं के संबंध में कार्यबल को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में भी उन्हें सहायता प्रदान करेगी।

(iii) मौजूदा कार्यबल न.के.अं के कार्यक्रम के पिछले कार्यबल (2002) द्वारा निष्पादित कार्यों के बाद से अपनी कार्यवाही शुरू कर सकती है।

(iv) माननीय मंत्री के परामर्श से कार्यबल के अध्यक्ष कार्यबल द्वारा प्रभावकारी रूप से कार्य निष्पादन हेतु इसमें कुछ विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकते हैं।

(v) संबंधी राज्यों के मध्य मतैक्यता निर्माण हेतु कार्यबल के अध्यक्ष को भिन्न राज्यों के साथ भिन्न स्तरों पर चर्चा आयोजित करना होगा। विभिन्न पणधारियों तथा प्राधिकारियों से एक प्रभावकारी संप्रेषण के लिए कार्यबल के अध्यक्ष के लिए एक उपयुक्त नयाचार सुनिश्चित करना वांछनीय होगा और राष्ट्र हित के इस परियोजना की सफलता के लिए उन्हें उचित कानूनी सशक्तिकरण और वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किया जा सकता है और उन्हें उचित पदनाम मनोनीत किया जा सकता है।

(vi) शीघ्र-अति-शीघ्र (एक समयबद्ध तरीके से) न.के.अं के कार्यक्रम के कार्यबल के लिए सहायक कर्मचारियों तथा संरचना सहित एक अलग सचिवालय स्थापित किया जा सकता है ताकि वे अपनी परिचालना आरंभ कर सके।

(vii) न.के.अं के कार्यक्रम के लिए एक अलग ईऍफ़सी ज्ञापन बनाया जा सकता है, जिसमे नदियों के अंतर्योजन पर कार्यक्रम के लिए रा.ज.वि.अ., विशेष समिति, भिन्न उप-समितियों और अन्य प्रासंगिक मुद्दों के अलावा कार्यबल के व्यय का प्रावधान होगा।

(viii) कार्यबल के अन्य सदस्यों/ विशेषज्ञों के लिए विचारणीय विषय, स्थिति, भुगतान रचना को परिभाषित करने तथा इसके तत्काल कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

**संलग्नक I**

**23.4.2015 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यबल के प्रथम बैठक के सहभागियों की सूची।**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री बी.एन नवलावाला,<br>मुख्य सलाहकार, ज.सं, न.वि और गं.सं.मं | अध्यक्ष |
| 2. | श्री प्रोदिप्तो घोष,<br>पूर्व सचिव, प.व.ज.प.मं<br>विख्यात सदस्य, ऊ.सं.सं | सदस्य |
| 3. | श्री ए.बी पांड्या,<br>अध्यक्ष, के.ज.आ | सदस्य |
| 4. | श्री एस.के कोहली,<br>सं.स तथा वि.स, ज.सं, न.वि और गं.सं.मं | सदस्य |
| 5. | श्री श्रीराम वेदिरे,<br>सलाहकार, ज.सं, न.वि और गं.सं.मं | सदस्य |
| 6. | श्री ए.डी मोहिले,<br>पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ | सदस्य |

7. श्री एम. गोपालकृष्णन, सदस्य
   पूर्व सदस्य, के.ज.आ

8. श्री विराग गुप्ता, सदस्य
   सांविधिक तथा पर्यावरणीय कानून विशेषज्ञ

9. श्री एस. मसूद हुसैन, सदस्य – सचिव
   महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.

**रा.ज.वि.अ. के अधिकारी**

10. श्री आर.के जैन,
    मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली

11. श्री एन.सी जैन,
    निदेशक (तक), रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली

12. श्री के.पी गुप्ता,
    अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली

13. श्री ओ.पी.एस कुशवाह,
    अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली